कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को पर्यावरण मंत्रालय की मिली मंजूरी

कोटा, (निसं)। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। बुधवार को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अधिकारियों के साथ राजस्थान राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हाईब्रिड मोड में आयोजित की गई। बैठक में हवाई अड्डे के निर्माण की प्रगति, पर्यावरणीय पहलुओं, और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की समीक्षा के साथ दिसंबर 2027 तक हवाई अड्डा निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ करने की समय-सीमा तक की गई। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों ने बिरला को बताया कि

कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्पीकर ओम बिरला के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की बैठक हुई है। इस दौरान अन्य विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।

- **इस हवाई अड्डे का संचालन दिसंबर 2027 तक शुरू कर दिया जाएगा**

कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य समस्त आवश्यक स्वीकृतियों के उपरांत मई 2025 से प्रारंभ कर दिया जाएगा और इस हवाई अड्डे का संचालन दिसंबर 2027 तक शुरू कर दिया जाएगा। यह हवाई अड्डा राजस्थान के कोटा शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर, 1005 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे में 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। नवीन हवाई अड्डे पर सात विमान पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। यह हवाई अड्डा प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों और प्रति घंटे 1,000 यात्रियों की क्षमता प्रदान करेगा। हवाई अड्डे को नेशनल हाईवे-52 से जोड़े जाने के लिए चार लेन की 30 मीटर संपर्क सड़क निर्माण का भी प्रस्ताव है। इस हवाई अड्डे को इस रूप में नियोजित किया जा रहा है कि वर्तमान में घरेलू उड़ानों में उपयोग में आ रहे सबसे बड़े हवाई जहाज भी यहां से उड़ान भर सकेंगे। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने भी संचालित हो सकेंगी। राजस्थान के वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट अरीजीत बनर्जी ने जानकारी दी कि कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से भूमि हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त हो गई है। राजस्थान सरकार के वन विभाग ने भी इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा 10,000 नए पेड़ भी लगाए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ फ्लाइंग क्लब भी बनेगा-हवाई अड्डे के साथ पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग स्कूल का विकास किया जायेगा। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 में कोटा हवाई अड्डे के लिए एनओसी जारी की थी। इसके बाद, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान सरकार के बीच जुलाई 2024 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित हुआ था।

सार-समाचार

कोटा विकास प्राधिकरण की बैठक

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के लिए 2047 तक का मास्टर डवलपमेंट प्लान तैयार होगा। केडीए के तहत अधिसूचित रीजन में नए राजस्व ग्राम जोड़ने, क्षेत्र के भावी विकास, सतत एवं सुनियोजित विकास को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाएगी। यह निर्णय कोटा विकास प्राधिकरण की बुधवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित द्वितीय बैठक में लिया गया है। बैठक में मल्टीमेटल के सामने स्थित मोटर मार्केट में थड़ी व्यवसायियों, मोटर मैकेनिक आदि के पुनर्वास के लिए आवंटन प्रक्रिया से जुड़े प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार कुन्द कुन्द आवासीय योजना में निर्मित आवासों के आवंटन के नए प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। योजना के तहत कुल 318 आवास उपलब्ध हैं। बैठक में संपूर्ण चम्बल रिवर फ्रंट के संचालन को सुगम बनाने एवं केडीए पर आ रहे आर्थिक भार को कम करने के लिए फेसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस के तहत विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने केडीए रीजन में जोड़े गए बूंदी जिले के तालेड़ा एवं केशोरायपाटन में नगर नियोजन के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास स्थित शंभूपुरा गांव में मास्टर प्लान के अनुसार उपलब्ध आवासीय भूमि के लिए आवासीय योजना बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर) डॉ. अमृता दुहन, कोटा विकास प्राधिकरण सचिव कुशल कोठारी, उप सचिव हर्षित वर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी मालविका त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यशाला आयोजित

कोटा, (निसं)। कोचिंग नगरी कोटा में तनाव से सम्बंधित कई ऐसे विषय सामने आए जो बेहद गंभीर थे, ऐसे में कोचिंग स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अधिकांश लोगों में तनाव होता है और वहीं तनाव कई बीमारियों के साथ समस्या का कारण बनता है।अफिनिटी हॉस्पिटल, तलवंडी चौराहा द्वारा लगातार तनाव को कम करने, उससे बचाव और तनाव के दौरान और बाद में उत्पन्न परिस्थितियों पर मंथन किया जा रहा है, विषय विशेषज्ञ अपने अनुभव के आधार पर लोगों को जागरुक कर रहे हैं। कोचिंग स्टूडेंट के साथ आमजन की लगातार काउंसलिंग की जा रही है और तनाव से उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को अन्तर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस मनाया गया और साथ ही तनाव को लेकर आमजन में जागरूकता फैलाने के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में डॉ. नीना विजयवर्गीय, मनोचिकित्सक एवं काउंसलर, एमबीबीएस, डीपीएम (साइकेट्री), एमआईपीएस द्वारा तनाव, इसके लक्षण, संभावित कारण, इससे जुड़ी भ्रांतियां व तथ्य, रोकथाम, बचाव के उपाय आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। उन्होंने कहा कि तनाव एक द्वन्द है, जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। उससे मन अशान्त, भावना अस्थिर एवं शरीर अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। भारत में लगभग 77 प्रतिशत लोग नियमित रूप से तनाव का कम से कम एक लक्षण अनुभव करते हैं।

पर्यावरण समिति की बैठक सम्पन्न

झालावाड़, (कासं)। जिला पर्यावरण समिति की बैठक जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने पर्यावरण प्रदूषण से बचाव हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर जिला पर्यावरण समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए जिले में पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद् झालावाड़ आयुक्त एवं नगर पालिका झालरापाटन के अधिशासी अधिकारी को शहरी क्षेत्र में वृहद् स्तर पर अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक की जप्ती की कार्यवाही के निर्देश दिए।इस दौरान जिला कलक्टर ने जिले में चल रहे अवैध क्रेशरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने तथा सभी क्रेशर की आधुनिकतम मशीनों के माध्यम से जांच करने के निर्देश राजस्थान प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को दिए। उन्होंने वन क्षेत्रों में संचालित क्रेशर से पर्यावरण प्रदूषण होने की बात पर उनकी भी जांच के आदेश उप वन संरक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जिले में सरकारी भूमि पर चल रहे ईंट भट्टों को भी हटवाने के निर्देश दिए। इस दौरान शहर के ध्वनि प्रदूषण को कम करने एवं आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई।

सार-समाचार

चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

बूंदी, (निसं)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा नैनवां रोड स्थित निजी कोचिंग संस्थान में राष्ट्रीय एकता दिवस सप्ताह के तहत युवा परिचर्चा, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जन्म जयंती सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में रोचक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में युवाओं ने उत्साह से भाग लेकर 'राष्ट्रीय एकता में युवाओं की भागीदारी' विषय पर अभिव्यक्ति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शारीरिक शिक्षक हितेश खींची रहे तथा अध्यक्षता एबीवीपी विभाग संयोजक पंकज गुर्जर ने की। विशिष्ट अतिथि संस्थाप्रधान दिनेश कुमार नागर, शिक्षक अर्जुन सिंह रहे। मुख्य अतिथि शारीरिक शिक्षक खींची ने सरदार पटेल की जीवनी के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता में वल्लभभाई का महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनकी संकल्पवादी, मानववादी व राष्ट्रवादी सोच ने एकजुट स्वतंत्र भारत को साकार रूप दिया। अध्यक्षता कर रहे गुर्जर ने राष्ट्र की एकता व अखंडता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि नागर ने बढ़ते सामाजिक और सांप्रदायिक तनावों के संदर्भ में जानकारी देते हुए भारत में विविधता में एकता का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम सहभागी शिखर पंचोली ने आभार व्यक्त किया। संचालन प्रभारी गोविंद प्रजापत ने किया। इस अवसर पर रोहन गुर्जर, शिवराज प्रजापत, महावीर नागर, योगेंद्र कुमार व अन्य मौजूद रहे।सह प्रभारी योग प्रशिक्षक भूपेन्द्र योगी ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता में अनुक्ष गौतम प्रथम, चंदन मीणा द्वितीय, निशा नागर तृतीय, चित्रकला प्रतियोगिता में धीरज प्रथम, दीपक नागर, दीपक बैरवा रहे।

लावारिस हालत में मिला मजदूर का शव

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी थाना इलाके के भदाना क्षेत्र में एक मजदूर का शव लावारिस हालत में मिला सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर ही मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन मौके पर मृतक की शिनाख्त नहीं होने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया मृतक की शिनाख्त मांगरोल निवासी राजेंद्र के रूप में की।

नाम परिवर्तन

मैं सुरेश कुमार विशनानी पुत्र श्री जगत राम मेरे पासपोर्ट में नाम सुरेश कुमार दर्ज है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश कुमार विशनानी है अतः पासपोर्ट में मेरा नाम सुरेश कुमार विशनानी दर्ज किया जाए।

संख्याक-4
संक्षिप्त वाद का सम्मन
आदेश 37 नियम 2
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायाधीश, कोटा वाद सं. 76/2023 केनरा बैंक...वादी
विरूद्ध
मैसेर्स नितिन ट्रेडिंग कम्पनी प्रतिवादी

प्रेषित (1) मैसर्स नितिन ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. नितिन कुमार बोरखेड़ा पेट्रोल पम्प के सामने, किराये की दुकान बारां रोड़, बोरखेड़ा, कोटा (राज.) (2) अशोक कुमार जैन आत्मज सुन्दर लाल जैन मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग, गांधी चौक, रामपुरा बाजार, कोटा (राज.)

वादी केनरा बैंक ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 के अधीन आपके विरूद्ध 548852 रूपये 27 पैसे और ब्याज के लिए संस्थित किया है। आपको सम्मन दिया जाता है कि आप इस सम्मन की तामील होने की तारीख से 10 दिन के भीतर उपसंजात (हाजिर) हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो 10 दिन के अवधि बीत जाने के पश्चात वादी को 548852 रूपये 27 पैसे से अनधिक राशि के लिए और खर्चो के बाबत 548852 रूपये 27 पैसे की राशि के लिए ऐसे ब्याज सहित, यदि कोई हो, जैसा न्यायालय आदिष्ट करें, डिग्री अभिप्राप्त करने का हक होगा। यदि आप उपसंजात होते है तो वादी तत्पश्चात् आपको निर्णय के लिए समन तामील करेगा जिसकी सुनवाई के समय आपको वाद की प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए न्यायालय से समावेदन करने का हक होगा।

यदि आप शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा न्यायालय का यह समाधान कर देते है कि वाद की प्रतिरक्षा गुणागुण (मेरिट) के आधार पर की जा सकती है या युक्ति युक्त है कि आपके प्रतिरक्षा करने के लिए अनुज्ञा दी जानी चाहिए तो प्रतिरक्षा करने की इजाजत दी जा सकेगी है।

यह आज तारीख 24.09.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया जाता है।

मोहर

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय,
कोटा (राज.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 66/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रामविलास मीना पुत्र श्री रामलाल मीना निवासी के एच 223-224 केशवपुरा सेक्टर नं. 6 कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत प्रन्यास "राष्ट्र रखवाला वसुधैव कुटुम्बकम मनोकामना पूर्ण अनंत जगत ज्योति शक्ति पीठ सेवा ट्रस्ट" के.एच. 223-224 केशवपुरा सेक्टर 6 कृष्णा दुध डेयरी के पास कोटा के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 03.12.2024 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2726 विज्ञप्ति दिनांक:-6.11.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नान्ता में स्थित कृषि भूमि योजना वर्धमान कालोनी भूखंड संख्या सी-7 खसरा नं. 1597 आवेदक/आवेदिका श्रीमती राजकान्ता पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी प्लाट नं 7 वर्धमान कालोनी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 958 दिनांक 30.06.2022 को श्री डॉ. जे.के. सिंघवी पुत्र श्री सुन्दर लाल, श्री डॉ. अशोक शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन लाल शोडिल्य, श्री डॉ. अशोक शारदा पुत्र श्री मदन मोहन शारदा, डॉ. मोहन मंत्री पुत्र श्री बल्लभ मंत्री एवं डॉ. अशोक जैन पुत्र श्री सुरज मल जैन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारियों द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2024 को जर्ये मुख्तारआम श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री कजोडी लाल द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती राजकान्ता पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण